भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2328
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के हितों की रक्षा करना

2328 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विदेशों में भारतीय छात्रों और पेशवरों के हितों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से वीज़ा विनियमों के संबंध में क्या उपाय लागू किए गए हैं;
(ख) विदेशों में भारतीय शिक्षण और कौशल को बढ़ावा देने सहित भारतीय शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) वीज़ा विनियमों या अन्य आव्रजन-संबंधी मुद्दों में परिवर्तन से प्रभावित होने वाले भारतीय छात्रों और पेशेवरों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) विदेश में भारतीय छात्रों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र अन्य देशों के विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित नए भारतीय छात्रों को, जहां भी संभव हो, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय मिशन/केंद्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और इन कार्यक्रमों में छात्रों को ऐसी चुनौतियों और खतरों, यदि कोई हों, जिनका उन्हें विदेशों में अपने प्रवास के दौरान सामना करना पड़ सकता है और इनसे बचने के प्रतिक्रियात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। भारतीय मिशनों/केंद्रों के प्रमुख और दूतावास के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भारतीय छात्रों और भारतीय छात्र संघों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए अपने-अपने संबंधित देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करने वाले भारतीय छात्रों को अपने यहां तथा मदद पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनकी शिकायतों और लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र भारतीय छात्रों से नियमित आधार पर उनसे

जुड़े रहने का आग्रह भी करते हैं तथा उनके द्वारा सामना किए जा रहे लंबित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। छात्रों की शिकायतों का टेलीफोन कॉल, वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस और मदद पोर्टल के माध्यम से समय पर जवाब दिया जाता है।

विदेशों में भारतीय छात्रों से प्राप्त शिकायतों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान और मेजबान सरकार, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उठाया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र अप्रिय घटनाओं के मामलों को भी मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष तुरंत उठाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी उपयुक्त जांच हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। आपात स्थिति या संकट की स्थिति के दौरान, विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय छात्रों को भोजन, आश्रय, दवाइयां प्रदान करके सक्रिय रूप से मदद करते हैं और जल्द से जल्द उनकी भारत वापसी/निकासी सुनिश्चित करते हैं।

विदेशी नागरिकों से ली जाने वाली वीजा फीस सहित वीजा संबंधी नीतियों का निर्माण संबंधित देशों का संप्रभु मामला है। इसके अतिरिक्त, वीजा जारी करने या वीजा अस्वीकृति का विवरण केवल विदेशी सरकारों के पास उपलब्ध है, क्योंकि वीजा की स्वीकृति या अस्वीकृति विदेशी सरकार का संप्रभु मामला है, और पब्लिक डोमेन में इसका प्रकटन/विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि, वीजा संबंधी मामलों, विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से वीजा नीतियों से जुड़े मुद्दों को सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ कोंसली वार्ताओं और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान बातचीत सहित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से उठाया जाता है।

विदेशों में भारतीय छात्रों के कल्याण और सुरक्षा के लिए किए गए इन उपायों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने नियमित प्रवास मार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साथ प्रवासन एवं आवाजाही सहभागिता, श्रमिक आवाजाही एवं श्रमिक कल्याण करार जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन करारों/समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य वीज़ा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनियमित प्रवासन से निपटना और भारतीय छात्रों की आवाजाही को प्रोत्साहित करना है।
